न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–06/26

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कोगटा फाईनेशियल इण्डिया लिमिटेड प्रथम मंजिल, जशोदा टॉवर, आखलिया चौराहा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल सिंह राठोड़		• बुध सिंह सोढा पुत्र रिदमल सिंह रावला बांस, रावला धडा, खिरजा, खिरजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर • मैसर्स महादेव सेण्ड स्ओन जरिये प्रोपराईटर बुध सिंह सोढा शिवपुरा, सियन्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर • मालम सिंह सोढा पुत्र रिदमल सिंह सोढा खिरजा, खिरजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :– आदेश दिनांकः–18.02.2026

1–अंकुर आंनद शर्मा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण बुध सिंह सोढा पुत्र रिदमल सिंह व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 33,53,452/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण बुध सिंह सोढा पुत्र रिदमल सिंह की जायदाद वाहन (1) Hydra 14 Ton (year 2019) Vehicle No. RJ19EA6015 Manufactured by Escorts Engine No. AE4312C3AE3485250 Chassis No. ECE01195PK0381322 (2) LPT2518 (year 2015) Vehicle No. RJ08GA3413 Manufactured By TATA Engine No. B591803251H63457446 Chassis No. MAT448022F2H12029 (3) खसरा संख्या 119/783 रकबा 0.1214 हेक्टर/0. 15 बीघा जिसमें 0.08093 हेक्टर/0.10 बीघा/10 बिस्वा ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सियांडा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 8712 वर्गफिट, जिसके उत्तर में खसरा नम्बर 169 दक्षिण में करणीसर के खसरा संख्या 333 का सरहद [illegible]

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.02.18 13:48:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20610129

एवं पश्चिम में शारवंद भूमि आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 26.07.2025 तक 37,91,855/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 33,53,452/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 26.07.2025 तक 37,91,855/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **बुध सिंह सोढा पुत्र रिदमल सिंह** की जायदाद (1) Hydra 14 Ton (year 2019) Vehicle No. RJ19EA6015 Manufactured by Escorts Engine No. AE4312C3AE3485250 Chassis No. ECE01195PK0381322 (2) LPT2518 (year 2015) Vehicle No. RJ08GA3413 Manufactured By TATA Engine No. B591803251H63457446 Chassis No. MAT448022F2H12029 (3) **खसरा संख्या 119/783 रकबा 0.1214 हेक्टर/0.15 बीघा जिसमें 0.08093 हेक्टर/0.10 बीघा/10 बिस्वा ग्राम शिवपुरा पटवार मण्ड़ल सियांडा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 8712 वर्गफिट, जिसके उत्तर में खसरा नम्बर 119, दक्षिण में करणीसर के खसरा संख्या 333 का सरहद सम्पति, पूर्व में खसरा नम्बर 119 एवं पश्चिम में शारवंद भूमि आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 14449/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत् खर्चा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।**

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।

जोधपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.02.18 13:48:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20610129